हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

66वीं बैठक का एजेण्डा

दिनांकः 22/01/2019

समयः– पूर्वान्ह् 11:00 बजे

स्थानः– आयुक्त कैम्प कार्यालय, देहरादून (सभागार)

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 66वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.01.2019 हेतु प्रस्तावित एजेण्डा मद

सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08.02.2018 एंव 65 वीं बोर्ड बैठक (परिचालन के माध्यम से) दिनांक 09.03.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	01
2	हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, की 64 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08.02.2018 की अनुपालन_आख्या।	02 से 10 तक
3	हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, की बैठक 65 वीं बोर्ड बैठक (परिचालन के माध्यम से) दिनांक 09.03.2018 की अनुपालन आख्या।	11
4	ऋषिकेश महायोजना प्रारूप–2031 की प्रदर्शनी जन–सामान्य के आपत्ति/सुझाव हेतु लगाये जाने का कार्य किये जाने विषयक।	12
5	स्वीकृत हरिद्वार महायोजना 2025 पर आधारित जोनल प्लान में प्राप्त आपत्ति/सुझाव के निस्तारण विषयक।	13
6	भवन मानचित्र से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों के निर्धारण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 297/V–2/06(आ0) 2016/2018 दिनांक 10.09.2018 को कतिपय संशोधन के साथ अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	14
7	भवनों/भूखण्ड़ों की कीमत पर पुर्नमूल्यांकन हेतु लगायी जाने वाली ब्याज दर के सम्बन्ध में।	15 से 16 तक
8	आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में अपात्र व्यक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के सम्बन्ध में।	17 से 18 तक
9	प्राधिकरण बोर्ड के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।	19
10	श्री श्रीपाल पुत्र श्री इमरत निवासी झबीरन जट पोस्ट मंगलौर जिला हरिद्वार में अपने आवासीय परिसर में स्थापित कराये गये मोबाइल टावर की शमन स्वीकृति हेतु मार्ग की चौडाई में शिथिलता प्रदान करने विषयक।	20
	अतिरिक्त एजेण्डा मद	
11	हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2019–20 का प्रस्तावित आय–व्ययक वित्तीय वर्ष 2018–19 का दिनांक 31.12.2018 तक का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित आय–व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	21 से 25 तक
12	प्रदेश में आवास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न प्राधिकरणों में आवासीय एंव गैर आवासीय भवनों के शमन शुल्क की दरों का पुनर्रीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।	26
13	उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून द्वारा प्रस्तावित एकल आवास, व्यवसायिक भवनों, आवासीय भू–उपयोग में व्यवसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ ओ0पी0डी0 /पैथोलोजी लैब/डाइग्नोस्टिक सेन्टर/चाइल्ड केयर/नर्सरी स्कूल कैच एंव प्ले ग्रुप को एक बार समाधान योजना के तहत शमन/विनियमितिकरण किये जोन के सम्बन्ध में।	27
14	प्राधिकरण में लिपिकीय श्रेणी के अनुभवी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सहमति के आधार पर पुनः संयत वेतन पर सेवायें प्राप्त किये जाने विषयक।	28
15	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।	29

पत्रावली संख्या /प्रशा0–2(क)–22/79/2018–19

मद संख्या 66–(01)

प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08.02.2018 एवं 65वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09.03.2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि

प्राधिकरण की 64 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08.02.2018 को एंव 65वीं बोर्ड बैठक (परिचालन के माध्यम से) दिनांक 09.03.2018 को आयोजित की गयी थी। उक्त बैठकों के कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि 64 वीं एंव 65वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 66वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 22–01–2019 का कार्यवृत्त।

प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08–02–2018 को मा0 अध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की अध्यक्षता में आयुक्त /अध्यक्ष कैम्प देहरादून के सभागार में आयोजित की गयी :–

बैठक की उपस्थिति :–

1. श्री शैलेश बगौली, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / अध्यक्ष,एच.आर.डी.ए.	अध्यक्ष
2. श्री आलोक कुमार पाण्डेय, उपाध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0	उपाध्यक्ष
3. श्री प्रेम सिंह राणा, अनु सचिव (सचिव,आवास विभाग के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
4. श्री दिनेश चन्द्रा, मुख्य अभियन्ता (सचिव, सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
5. श्री एस0के0पन्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक (नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड)	पदेन सदस्य
6. श्री गोपाल सिंह चौहान, उप जिला अधिकारी हरिद्वार (जिलाधिकारी हरिद्वार के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
7. श्री सनातन सोनकर, डायेरेक्टर राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून	विशेष आमन्त्रित सदस्य
8. श्री राजीव धीमान, डी0एफ0ओ0 देहरादून	विशेष आमन्त्रित सदस्य
9. श्री रोशन रतूड़ी, अध्यक्ष, नगर पालिका मुनि कीरेती	पदेन सदस्य
10.श्री तंजीम अली, मुख्य वित्त अधिकारी (नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
11.श्री आनन्द सिंह, सहायक अभियन्ता (नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
12.मौ0 मीसम, अधिशासी अभियन्ता, (प्रमुख सचिव,पेयजल के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य

सर्वप्रथम हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा आयुक्त/ अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :–

मद संख्या–66 (01) प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08–02–2018 एवं 65वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09–03–2018 के कार्यवृत्त /अनुपालना की पुष्टि की गई ।

Secretary

Vice Chairman

Chairman

पत्रावली संख्याः प्रशा0–2(क)–22/79/2018–19

मद संख्या 66 (02)
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, की 64 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08.02.2018 की अनुपालन आख्या :–

क0सं0	मद सं0	विषय	निर्णय	अनुपालन
01.		स्वीकृत हरिद्वार महायोजना 2025 में प्रस्तावित विभिन्न प्रखण्डों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने विषयक।		
	60वीं मद सं0 (3–अ)	हरिद्वार महायोजना 2025 भाग–अ के जोनल प्लान के सम्बन्ध में।	प्रकरण प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 04 पर विस्तृत विवरण सहित प्रस्तुत किया गया।	प्रकरण प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 04 पर विस्तृत विवरण सहित प्रस्तुत किया गया।
	60वीं मद सं0 (3–ब)	ऋषिकेश महायोजना भाग–ब (2011–2026) तैयार कराये जाने विषयक।	ऋषिकेश महायोजना भाग–ब (2011–2026) तैयार कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा कार्य को अनुबन्ध के अनुसार समयान्तर्गत सम्पादित न किये जाने पर मुख्य नियोजक द्वारा अवगत कराया गया है कि महायोजना के ड्राफ्ट को तैयार कर दिया गया जिस पर कार्य को शीघ्र सम्पन्न करने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	निर्णय के अनुपालन मे अवगत कराना है कि ऋषिकेश महायोजना–ब (2031) के सम्बन्ध में मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक के पत्र संख्या 1337 दिनांक 02.07.18 के माध्यम से सूचित किया गया है कि ऋषिकेश महायोजना 2031 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अतः प्रश्नगत एजेण्डा मद को समाप्त करते हुए महायोजना ड्राफ्ट की स्वीकृति के सम्बन्ध में **विस्तृत विवरण सहित एजेण्डा पृथक से मद संख्या 04 पर प्रस्तुत है।**
	60वीं मद सं0 (3–स)	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के गठन उपरान्त प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित रूड़की क्षेत्र हेतु महायोजना तैयार कराये जाने विषयक	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के गठन उपरान्त प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित रूड़की क्षेत्र हेतु महायोजना तैयार कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया जिस पर कार्य को प्राथमिकता से समयान्तर्गत सम्पादित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि रूडकी महायोजना के बेस मैप का कार्य पूर्ण कराकर महायोजना तैयार कराये जाने का कार्य उडा द्वारा मैसर्स एन0एफ0 इन्फाटैक प्रा0 लि0. द्वारा कराये जाने हेतु दिनांक 09.04.2018 को अनुबन्ध निष्पादित किया गया है। जिसके अनुसार उक्त कार्य दिनांक 04.03.2019 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

मद संख्या–66–02 (01.अ)

60–(3.स) हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के गठन उपरान्त प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित रूड़की क्षेत्र हेतु महायोजना तैयार कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा मै0 एन0एफ0 इन्फ्राटैक प्रा0 लि0 को अनुबन्ध के अनुसार के अनुसार कार्य समाप्ति तिथि दिनांक 04–03–2019 तक शीर्ष प्राथमिकता से समयान्तर्गत सम्पादित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

63–(20) हरिद्वार में हर की पैडी क्षेत्र श्रवणनाथ नगर भीमगोडा , गोविन्दपुरी, नया हरिद्वार आदि आवासीय क्षेत्रों में निर्मित आवासों को गेस्ट हाउस, लॉज एवं होटलों के नियमितीकरण हेतु मानक सिद्धान्त तैयार किये जाने विषयक प्रकरण पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व–सम्मति से विस्तृत नियम तथा पर्यटन विभाग के अद्यतन नियम आदि के साथ समिति की रिर्पोट (Report) आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

मद संख्या–64 (05) मायापुर हरिद्वार स्थित वर्तमान नगर निगम कार्यालय परिसर को ध्वस्त करते हुए प्राधिकरण द्वारा आवासीय /व्यावसायिक योजना का विकास एवं निर्माण कार्य विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि योजना के सभी पहलुओं /बिन्दुओं पर विस्तृत परीक्षण कर लिया जाये तथा जन–सामान्य एवं अन्य माध्यमों से सुझाव प्राप्त करते हुए प्रस्तावित योजना को व्यावसायिक काम्पलेक्स, (होटल) तथा आवासीय में से कौन योजना वित्तीय दृष्टि से ठीक है, योजना के डिजाईन/ ड्राईंग /माडयूल हेतु एक कन्सल्टेंट की नियुक्ति तथा उक्त कार्य हेतु एम0डी0डी0ए0 से भी सहयोग प्राप्त करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

Secretary Vice Chairman Chairman

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।				
02.	63वीं, मद संख्या–20	हरिद्वार में हर की पैडी क्षेत्र श्रवणनाथ नगर, भीमगोडा, गोविन्दपुरी, नया हरिद्वार आदि आवासीय क्षेत्रों में छोटे–छोटे भूखण्डों एवं निर्मित आवासों को गेस्ट हाउस, लॉज एवं होटलों को एक मानक तय करते हुऐ इनके नियमितीकरण किये जाने विषयक	हरिद्वार में हर की पैडी क्षेत्र श्रवणनाथ नगर भीमगोडा, गोविन्दपुरी, नया हरिद्वार आदि आवासीय क्षेत्रों में निर्मित आवासों को गेस्ट हाउस, लॉज एवं होटलों को एक मानक तय करते हुऐ इनके नियमितीकरण किये जाने विषयक प्रकरण पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व–सम्मति से विस्तृत नियम तथा पर्यटन विभाग के अद्यतन नियम आदि के साथ आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि हरिद्वार में हर की पैडी क्षेत्र श्रवणनाथ नगर भीमगोडा, गोविन्दपुरी, नया हरिद्वार आदि आवासीय क्षेत्रों में निर्मित आवासों को गेस्ट हाउस, लॉज एवं होटलों को एक मानक तय करते हुए इनके नियमितीकरण हेतु कार्यालय आदेश संख्या 2480 दिनांक 08.11.2017 **(संलग्नक ग)** द्वारा समिति गठित की गयी। कार्यवाही गतिमान है।
03.	64वीं मद संख्या–(03)	हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2017–18 का पुनरीक्षित आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित प्रस्तावित आय–व्ययक प्राधिकरण की बोर्ड के सक्षम अनुमोदनार्थ प्रेषित।	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का वित्तीय वर्ष 2017–18 का पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2018–2019 का प्रस्तावित आय–व्ययक पर विस्तार से प्रत्येक मदवार विचार–विमर्श किया गया तथा विस्तृत चर्चा उपरान्त प्राधिकरण का वर्ष 2017–18 का पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2018–2019 के प्रस्तावित बजट को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से अनुमोदित किया गया।	निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है।
04.	64वीं मद संख्या–(04)	स्वीकृत हरिद्वार महायोजना–2025 के आधार पर जोनल डेवलेपमैन्ट प्लान पर जनसामान्य से सुझाव एंव आपत्ति आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में	स्वीकृत हरिद्वार महायोजना–2025 के आधार पर जोनल डवलपमैन्ट प्लान पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त सभी 11 प्रखण्डों पर जन–सामान्य से सुझाव एवं आपत्ति आमन्त्रित किये जाने के निर्देश दिये गये तथा एजेण्डा मद में प्रस्तावित समिति को भी अनुमोदित किया गया।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि स्वीकृत हरिद्वार महायोजना भाग (अ)–2025 के आधार पर जोनल डेवलेपमैन्ट प्लान पर जनसामान्य से प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों पर सुनवाई बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 13.07.18 को पूर्ण की जा चुकी है। जिसपर समिति द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रश्नगत एजेण्डा मद को समाप्त करते हुए प्रकरण विस्तृत विवरण सहित एजेण्डा पृथक से **मद संख्या 05** पर प्रस्तुत है।
05.	64वीं मद संख्या–(05)	मायापुर हरिद्वार स्थित वर्तमान नगर निगम कार्यालय परिसर को ध्वस्त करते हुए प्राधिकरण द्वारा आवासीय/ व्यवसायिक योजना का विकास एंव निर्माण कार्य।	मायापुर हरिद्वार स्थित वर्तमान नगर निगम कार्यालय परिसर को ध्वस्त करते हुए प्राधिकरण द्वारा आवासीय /व्यावसायिक योजना का विकास एवं निर्माण कार्य विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्वान्तिक सहमति देते हुए योजना के सभी पहलुओं/बिन्दुओं पर विस्तृत परीक्षण करने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये कि यह परीक्षण कर लिया जाये कि प्रस्तावित योजना को व्यावसायिक, (होटल) तथा आवासीय में से कौन योजना वित्तीय दृष्टि से ठीक है, तदनुसार कार्यवाही की जाय।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल पर आवासीय बहुमंजिले भवन अथवा होटल निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में फिजिबिल्टी रिपोर्ट तैयार करायी जा रही है।

06.	64वीं मद संख्या–(06)	हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम कार्यालय निर्मित कराये जाने तथा नगर निगम हरिद्वार की कतिपय सम्पत्तियों को कय किये जाने के सम्बन्ध में	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम कार्यालय निर्मित कराये जाने तथा नगर निगम हरिद्वार की कतिपय सम्पत्तियों को क्रय किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्वान्तिक सहमति देते हुए योजना के सभी पहलुओं /बिन्दुओं पर विस्तृत परीक्षण करने, योजना के डिजाईन/ ड्राईग /कन्सल्टेन्ट पर होने वाले व्यय /फीस आदि को भारत सरकार की लिखित सहमति प्राप्त होने के उपरान्त किये जाने तथा कन्सल्टेन्ट की फीस आदि का निर्धारण प्रचलित शासनादेश से अधिक नहीं किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि नगर निगम द्वारा अपने कार्यालय भवन का निर्माण स्वयं से कराया जा रहा है। बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में भूमि हस्तान्तरण हेतु नगर निगम हरिद्वार को कार्यालय पत्र संख्या 54 दिनांक 06.04.2018 द्वारा सर्किल मूल्य पर हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उत्तर अपेक्षित है।
07.	64वीं मद संख्या–(07)	प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 में निर्माणाधीन 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में	प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 में निर्माणाधीन 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के मूल्य निर्धारण विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई तथा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेशानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्राधिकरण बोर्ड द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज उ0प्र0जल निगम द्वारा तैयार किये गये डी0पी0आर0 की स्वीकृति मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई अप्रेजल कमेटी की बैठक दिनांक 04.01.18 **(संलग्नक क)** में परियोजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार को प्रेषित किया गया। साथ ही साथ उक्त बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण कार्यदायी संस्था का चयन खुली निविदा के माध्यम से करे। तदोपरान्त कार्यदायी संस्था के अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 252 दिनांक 23.04.18 के द्वारा वर्णित परिस्थितियों में मा0 मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 04.01.2018 पर मार्ग दर्शन/दिशा निर्देश सचिव, उत्तराखण्ड शासन आवास विभाग से चाहा गया। पुनः सचिव शहरी विकास विभाग की बैठक दिनांक 10.08.2018 में कतिपय सुझावों के साथ अपनी संस्तुति मा0 मुख्य सचिव महोदय को पत्र सं0 2565 दिनांक 12.09.2018 **(संलग्नक क)** के द्वारा प्रेषित की गयी। इसी मध्य उड़ा द्वारा भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता की राशि भी अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में सूचित किया गया। प्राधिकरण द्वारा उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत केन्द्रीय सहायता राशि अवमुक्त न करने का अनुरोध प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या 1936 दिनांक 17.11.2018 के द्वारा किया गया है। **(संलग्नक क)**

मद संख्या–64 (06) हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम कार्यालय निर्मित कराये जाने तथा नगर निगम हरिद्वार की कतिपय सम्पत्तियों को क्रय किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर विस्तृत परीक्षण करने, जन–सामान्य, अन्य माध्यमों से सुझाव प्रापत करने एवं योजना के डिजाईन/ ड्राईंग / माडयूल हेतु एक कन्सल्टेंट की नियुक्ति तथा उक्त कार्य हेतु एम0डी0डी0ए0 से भी सहयोग प्राप्त करते हुए सुविचारित प्रस्ताव आगामी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या–64 (07) प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 में निर्माणाधीन 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के मूल्य निर्धारण विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव का पुनः परीक्षण, कार्यदायी संस्था का चयन खुली निविदा के माध्यम से किया जाये तथा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेशानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या–64 (08) हरिद्वार स्थित बस स्टैण्ड को प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थानान्तरित करने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर ए0आर0एम परिवहन निगम हरिद्वार, ए.आर.टी.ओ. हरिद्वार के साथ परीक्षण करने एवं जन–सामान्य से सुझाव आमन्त्रित करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।

Secretary Vice Chairman Chairman

08.	64वीं मद संख्या–(08)	हरिद्वार स्थित बस स्टैण्ड को प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थान्तरित करने के सम्बन्ध में	हरिद्वार स्थित बस स्टैण्ड को प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थानान्तरित करने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर बस अड्डे पर विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए योजना के सभी पहलुओं /बिन्दुओं पर विस्तृत परीक्षण करने, योजना के डिजाईन/ ड्राईंग /कन्सल्टेन्ट पर होने वाले व्यय /फीस आदि को भारत सरकार की लिखित सहमति प्राप्त होने के उपरान्त किये जाने, कन्सल्टेन्ट की फीस आदि का निर्धारण प्रचलित शासनादेश से अधिक नहीं किये जाने एवं डी0पी0आर0 /डिजाईन तैयार करने वाली संस्था वैप्कास के कार्यो से असंतुष्टि जताई गई। उपरोक्त क्रम में विस्तृत डिजाईन /ड्राइंग आगामी बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि संदर्भित प्रकरण में भारत सरकार की कम्पनी वैप्कॉस द्वारा परियोजना तैयार की गयी, जिसपर बोर्ड द्वारा असहमति व्यक्त की गयी तथा पुनः संशोधित प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में वैप्कॉस द्वारा किये गये कार्यों के भुगतान हेतु सचिव, शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड को कार्यालय पत्र संख्या 76 दिनांक 07.04.2018 के द्वारा अनुरोध किया गया है। (छायाप्रति संलग्नक ख)
09.	64वीं मद संख्या–(09)	हरिद्वार में वर्तमान बस अड्डे की भूमि पर पार्किंग स्थल एंव अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के विकास के सम्बन्ध में	हरिद्वार में वर्तमान बस अड्डे की भूमि पर पार्किंग स्थल एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के विकास विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए योजना के सभी पहलुओं /बिन्दुओं पर विस्तृत परीक्षण करने, योजना के डिजाईन/ ड्राईंग /कन्सल्टेन्ट पर होने वाले व्यय /फीस आदि की भारत सरकार का लिखित सहमति प्राप्त होने के उपरान्त किये जाने, कन्सल्टेन्ट की फीस आदि का निर्धारण प्रचलित शासनादेश से अधिक नहीं किये जाने के निर्देश के साथ एजेण्डा बिन्दु को सर्व–सम्मति से अनुमोदित किया गया।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि वैप्कॉस द्वारा किये गये कार्यों के भुगतान हेतु प्रकरण सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड को कार्यालय पत्र संख्या 76 दिनांक 07.04.2018 द्वारा संदर्भित किया गया है। (छायाप्रति संलग्नक ख)

मद संख्या–64 (09) हरिद्वार में वर्तमान बस अड्डे की भूमि पर पार्किंग स्थल एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के विकास विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर परिवहन निगम हरिद्वार, ए.आर.टी.ओ. हरिद्वार के साथ परीक्षण करने एवं जन–सामान्य से सुझाव आमन्त्रित करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या–64 (10) ऋषिकेश नगर निगम कार्यालय परिसर में पार्किंग एवं व्यवसायिक गतिविधियों के निर्माण विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर निदेशक, शहरी विकास विभाग, परिवहन निगम, ए.आर.टी.ओ. ऋषिकेश के साथ संयुक्त बैठक /परीक्षण करने एवं जन–सामान्य से सुझाव आमन्त्रित करते हुए सभी वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत रिर्पोट (Report) के साथ सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या–64 (11) उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–1819 (2) दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के द्वारा हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण का विस्तार करते हुए हरिद्वार जिले के ऐसे भू–भाग जो पूर्व में प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थे को सम्मिलित किया गया है, की महायोजना तैयार किये जाने विषयक प्रस्ताव पर कार्यवाही उडा स्तर से गतिमान है, बोर्ड द्वारा उडा को समयान्तर्गत कार्य सम्पादित करने के निर्देश दिये गये ।

Secretary

Vice Chairman

Chairman

10.	64वीं मद संख्या–(10)	ऋषिकेश नगर पालिका कार्यालय परिसर में पार्किंग एंव व्यवसायिक गतिविधियों के निर्माण के सम्बन्ध में	ऋषिकेश नगर पालिका कार्यालय परिसर में पार्किंग एवं व्यवसायिक गतिविधियों के निर्माण विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए योजना के सभी पहलुओं /बिन्दुओं पर विस्तृत परीक्षण करने एवं योजना के डिजाईन/ ड्राईंग /कन्सल्टेन्ट पर होने वाले व्यय /फीस आदि को भारत सरकार की लिखित सहमति प्राप्त होने के उपरान्त किये जाने तथा कन्सल्टेन्ट की फीस आदि का निर्धारण प्रचलित शासनादेश से अधिक नहीं किये जाने के निर्देश के साथ एजेण्डा बिन्दु को सर्व–सम्मति से अनुमोदित किया गया।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि वैप्कॉस द्वारा किये गये कार्यों के भुगतान हेतु प्रकरण सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड को कार्यालय पत्र संख्या 76 दिनांक 07.04.2018 द्वारा संदर्भित किया गया है। (छायाप्रति संलग्नक ख)
11.	64वीं मद संख्या–(11)	उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–1819 (2) दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के द्वारा हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण का विस्तार करते हुए हरिद्वार जिले के ऐसे भू–भाग जो पूर्व में हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित नही थे को सम्मिलित किया गया है, की महायोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–1819 (2) दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के द्वारा हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण का विस्तार करते हुए हरिद्वार जिले के ऐसे भू–भाग जो पूर्व में प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थे को सम्मिलित किया गया है, की महायोजना तैयार किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त महायोजना तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही उडा स्तर पर गतिमान है। उडा का पत्र संख्या 1041 दिनांक 03.12.2018 **(संलग्नक घ)**
12.	64वीं मद संख्या–(12)	हरिद्वार स्थित होटल अलकनंदा में नवीन होटल बनाने हेतु विधिक अनुमति एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में	हरिद्वार स्थित होटल अलकनंदा में नवीन होटल बनाने हेतु विधिक अनुमति एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त भू–उपयोग व्यावसायिक किये जाने का अनुमोदन किया गया तथा प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल का भू उपयोग शासनादेश संख्या 705 दिनांक 02 मई 2018 द्वारा व्यवसायिक कर दिया गया है। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**

13.	64वीं मद संख्या–(13)	उत्तराखण्ड परिवहन निगम डिपो कार्यशाला, ऋषिकेश में कन्ज्यूमर डीजल पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रामण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में	उत्तराखण्ड परिवहन निगम डिपो कार्यशाला, ऋषिकेश में कन्ज्यूमर डीजल पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि यह देख लिया जाये कि एन0जी0टी0 के द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन न हो ।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्रांक: 3764 दिनांक 19.03.2018 द्वारा उप सचिव, आवास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को बोर्ड के निर्णय से अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया। उक्त के क्रम में अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा कन्ज्यूमर डीजल पम्प स्थापित करने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में पत्रांक संख्या–968 दिनांक 22.06.2018 प्राप्त हुआ, जिसके कम में कार्यालय पत्र संख्या 208 दिनांक 13.12.18 **(संलग्नक "ड़")** द्वारा सहायक महाप्रबन्धक, उ0प0नि0 ऋषिकेश को आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। कार्यवाही विचाराधीन है।
14.	64वीं मद संख्या–(14)	हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण के कार्यों के संचालन हेतु ई0आर0पी0 सॉल्यूशन तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के कार्यो के संचालन हेतु ई0आर0पी0 सॉल्यूशन तैयार कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि ई0आर0पी0 शॉल्यूशन तैयार कराये जाने हेतु विभिन्न कम्पनियों के माध्यम से उनके द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर का प्रस्तुतिकरण कराया जा रहा है। इसके उपरान्त ई0आर0पी0 सॉल्यूशन का कार्य सार्वजनिक निविदा के माध्यम से सम्पादित कराया जायेगा।
15.	64वीं मद संख्या–(15)	हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण में ऑनलाईन मानचित्र स्वीकृति एंव अन्य डाटा सुरक्षित रखे जाने हेतु Server एवं Online UPS स्थापित कराये जाने के विषयक	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण में ऑनलाईन मानचित्र स्वीकृति एवं अन्य डाटा सुरक्षित रखे जाने हेतु Server एवं Online UPS स्थपित कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।	दिनांक 22.03.2018 एंव दिनांक 16.04.2018 में निविदा आंमत्रित की गयी थी। किन्तु अर्हता पूर्ण न होने के कारण तकनीकी रूप में एन0आई0सी0 को सदस्य नामित करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित की गयी है।
16.	64वीं मद संख्या–(16)	प्राधिकरण में संविदा के आधार पर एक ट्रांसपोर्टर प्लानर एंव एक पी0पी0पी0/ आई0टी0 एक्सपर्ट की नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में	प्राधिकरण में संविदा के आधार पर एक ट्रांसपोर्टर प्लानर एवं एक पी0पी0पी0/आई0टी0 एक्सपर्ट की तैनाती विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा पूर्व में मल्टी नेशनल कम्पनी/वर्ल्ड बैंक में कार्य करने वाले अनुभवी विशेषज्ञ को ही उक्त प्रोजेक्ट अवधि तक ही रखे जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में आवश्यकता के दृष्टिगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
17.	64वीं मद संख्या–(17)	हरिद्वार विकास क्षेत्रान्तर्गत गंगा के किनारे स्थित भवनों को एक रंग में रंगे जाने के सम्बन्ध में।	हरिद्वार विकास क्षेत्रान्तर्गत गंगा के किनारे स्थित भवनों को एक रंग में रंगे जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि संदर्भित प्रकरण पर शासन स्तर से निर्णय लिए जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 229(2) दिनांक 23.04.2018 के द्वारा अनुरोध किया गया है।

मद संख्या–64 (13) उत्तराखण्ड परिवहन निगम डिपो कार्यशाला, ऋषिकेश में कन्ज्यूमर डीजल पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि यह देख लिया जाये कि एन0जी0टी0 के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करने तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या–64 (14) हरिद्वार –रूड़की विकास प्राधिकरण के कार्यो के संचालन हेतु ई0आर0पी0सॉल्यूशन तैयार कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने तथा प्रकरण को एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या–64 (15) हरिद्वार – रूड़की विकास प्राधिकरण में ऑनलाईन मानचित्र स्वीकृति एवं अन्य डाटा सुरक्षित रखे जाने हेतु Server एवं Online UPS स्थपित कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने तथा प्रकरण को एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या–64 (20) श्री हंस फाउण्डेशन की ओर से श्री विक्रांत पाठक पुत्र श्री सन्तराम पाठक द्वारा ग्राम–बहादराबाद के खसरा नं0– 51/2, 53, 54 तथा 55 में स्थित 14591.00 वर्ग मी0 भूमि पर चैरिटेबिल आई हास्पीटल के निर्माण की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव बोर्ड द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने तथा प्रकरण को एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

Secretary Vice Chairman Chairman

18.	64वीं मद संख्या–(18)	शासनादेश संख्या 476/V–2/20 (आ0) 14/ 2015 दिनांक 21 मार्च 2016 के अन्तर्गत नियमित किये गये कार्मिकों को तदर्थ/अनियमित/संविदा पर तैनाती की तिथि से वित्तीय एंव सेवा लाभ तथा वेतनमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या–476/V–2/20(आ0) 14/ 2015 दिनांक 21 मार्च, 2016 के अन्तर्गत नियमित किये गये कार्मिकों को तदर्थ /अनियमित /संविदा पर तैनाती की तिथि से वित्तीय एवं सेवा लाभ तथा वेतनमान की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण को अस्वीकृत किया गया तथा विस्तृत परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
19.	64वीं मद संख्या–(19)	ग्राम घुघत्याणी तल्ली, तपोवन, नरेन्द्रनगर, जिला–टिहरी गढवाल के विभिन्न खसरा नम्बरों के कृषि भू–उपयोग से पर्यटन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	ग्राम घुघत्याणी तल्ली, तपोवन, नरेन्द्रनगर, जिला–टिहरी गढ़वाल के विभिन्न खसरा नम्बरों के कृषि भू–उपयोग से पर्यटन में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि आवेदक की इस बिन्दु पर सहमति ले जी जाय कि वह भू–उपयोग व्यावसायिक में चाहते है या पर्यटन में आवेदक द्वारा अपने पत्र द्वारा भू–उपयोग पर्यटन में किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है तद्नुसार उक्त भू–उपयोग कृषि से पर्यटन किये जाने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित करने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि भू उपयोग कृषि से पर्यटन किये जाने के प्रस्ताव पर शासन की अधिसूचना संख्या 1557/V–2–2018–07 (एल0यू0सी0)/2016 दिनांक 26 नवम्बर 2018 द्वारा उल्लिखित विभिन्न खसरों का भू–उपयोग कृषि से पर्यटन में किया जा चुका है। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
20.	64वीं मद संख्या–(20)	श्री हंस फाउण्डेशन की ओर से श्री विकांत पाठक पुत्र श्री सन्तराम पाठक द्वारा ग्राम बहादराबाद के खसरा न0. 51/2, 53, 54 तथा 55 में स्थित 14591.00 वर्ग मी0 भूमि पर चैरीटेबिल आई हास्पीटल के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	श्री हंस फाउण्डेशन की ओर से श्री विक्रांत पाठक पुत्र श्री सन्तराम पाठक द्वारा ग्राम–बहादराबाद के खसरा नं0– 51/2, 53, 54 तथा 55 में स्थित 14591.00 वर्ग मी0 भूमि पर चैरिटेबिल आई हास्पिटल के निर्माण की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त भू–उपयोग व्यवसायिक किये जाने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में भू उपयोग परिवर्तन आवासीय से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में आरोपित आपत्तियों के निराकरण हेतु विपक्षी को कार्यालय पत्र संख्या 3898 दिनांक 28.03.2018 द्वारा सूचित किया गया। वर्तमान तक विपक्षी द्वारा आपत्तियों का निराकरण नही किया गया है। आपत्तियों के निराकरण किये जाने के उपरान्त ही नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

21.	64वीं मद संख्या–(21)	श्री गौरव जैन पुत्र श्री महेश कुमार जैन द्वारा ग्राम मनोहरपुर , परगना ज्वालापुर, तहसील एंव जिला हरिद्वार के खसरा नम्बर 218, 225, 237 में स्थित भूमि जिसका क्षेत्रफल 4840.00 वर्गमी0 हैं पर होटल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में	श्री गौरव जैन पुत्र श्री महेश कुमार जैन द्वारा ग्राम मनोहरपुर, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार के खसरा नम्बर 218, 225, 237 में स्थित भूमि जिसका क्षेत्रफल 4840.00 वर्ग मी0 हैं पर होटल निर्माण की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।	निर्णय के अनुपालन में ऑनलाईन मानचित्र स्वीकृति कर निर्गत किया जा चुका है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
22.	64वीं मद संख्या–(22)	लक्सर रोड पर डी0ए0वी0 कालेज के सामने नगर निगम, हरिद्वार की स्लेज फार्म की भूमि में से लगभग 80 बीघा भूमि प्राधिकरण को प्रधानमंत्री आवासीय योजना एंव अन्य कार्यों हेतु हस्तगत किये जाने के सम्बन्ध में	लक्सर रोड पर डी0ए0वी0 कालेज के सामने नगर निगम, हरिद्वार की स्लेज फार्म की भूमि में से लगभग 80 बीघा भूमि प्राधिकरण को प्रधानमंत्री आवासीय योजना एवं अन्य कार्यो हेतु हस्तगत किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए सभी पहलुओं /बिन्दुओं पर परीक्षण करने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि नगर निगम से भूमि हस्तान्तरण हेतु अनुरोध किया गया है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 480 दर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण का प्रस्ताव कार्यालय पत्र संख्या 753 दिनांक 11.06.2018 के द्वारा शासन को प्रेषित किया गया। प्रतिउत्तर अपेक्षित है।
23.	64वीं मद संख्या–(23)	नगर निगम, हरिद्वार की विभिन्न सम्पत्तियों को प्राधिकरण द्वारा कय किये जाने के सम्बन्ध में।	नगर निगम, हरिद्वार की विभिन्न सम्पत्तियों को प्राधिकरण द्वारा क्रय किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए सभी पहलुओं/बिन्दुओं पर परीक्षण करने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में प्रश्नगत सम्पत्तियों को सर्किल मूल्य के आधार पर हस्तान्तरित किये जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 54 दिनांक 06.04.2018 के द्वारा नगर निगम हरिद्वार से अनुरोध किया गया है।
24.	64वीं मद संख्या–(24)	उषा ब्रेको द्वारा मंशा देवी रोपवे के संचालन के सम्बन्ध में	उशा ब्रेको द्वारा मंशा देवी रोपवे के संचालन विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रकरण के सभी पहलुओं/बिन्दुओं पर परीक्षण करते हुए प्रस्ताव को अस्वीकृत कर प्रकरण नगर निगम को सन्दर्भित किया जाये।	निर्णय के अनुपालन में **प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
25.	64वीं मद संख्या–(25)	हरिद्वार –रूडकी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हुडको से ऋण प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हुडको से ऋण प्राप्त किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार–विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रकरण के सभी पहलुओं/बिन्दुओं पर परीक्षण करने एवं प्राधिकरण में जमा धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करने के उपरान्त ही लोन ली गयी धनराशि का आहरण किये जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि वर्तमान तिथि तक हुडको से ऋण का आहरण नहीं किया है। आवश्यकता पडने पर ऋण आहरण की कार्यवाही की जायेगी। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**

मद संख्या–64 (22) लक्सर रोड पर डी0ए0वी0 कालेज के सामने नगर निगम, हरिद्वार की स्लेज फार्म की भूमि में से लगभग 80 बीघा भूमि प्राधिकरण को प्रधानमंत्री आवासीय योजना एवं अन्य कार्यो हेतु हस्तगत किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या–64 (23) नगर निगम, हरिद्वार की विभिन्न सम्पत्तियों को प्राधिकरण द्वारा क्रय किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या–66 (04) ऋषिकेश महायोजना प्रारूप–2031 की प्रदर्शनी जन–सामान्य के आपत्ति /सुझाव हेतु लगाये जाने का कार्य किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई चर्चा उपरान्त ऋषिकेश महायोजना में प्राधिकरण के निम्न सुझावों को समावेशित किये जाने पर विचार किया गया जिनमें प्रमुखतः :–

(a)–खाण्ड गांव, खाण्ड गांव रायवाला, अपोजिट रायवाला स्टेशन जो कि वर्तमान में महायोजना में है परन्तु अधिसूचित नहीं है को अधिसूचित किया जाय ।

(b)–एन0एच–58 व गंगा नदी के मध्य स्थित क्षेत्र की मृदा संरचनाओं के दृष्टिगत रखते हुए जोनिंग रेगुलेशन के प्रस्तर–7 की व्यवस्थाओं के अतिरिक्त अनावसीय (अंश) भवनों में भी अधिक ऊँचाई विशेष परिस्थितियों में जोनिंग की व्यवस्था अनुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचारणीय होगी ।

(C)–हिल्स के मानकों के अनुकूल पर्यटन भू–उपयोग में भवनों की ऊँचाई 12 मीटर की जायें ।

(d)–ग्राम नीरगढ से कौडियाला (ग्राम पट्टी धमान्स्यू) तक एन0एच0–58 के किनारे 500 मीटर से 1000 मीटर के क्षेत्र को पर्यटन को प्रोत्साहन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु इको रिर्जोट /रिर्जोट /होटल/गैस्ट हाउस/ईको टूरिज्म प्रोत्साहन मानक अनुसार प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से अनुमन्य होंगे।

Secretary Vice Chairman Chairman

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद				
26.	64वीं मद संख्या–(26)	नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग के सेवा निवृत्त वरिष्ठ नियोजक श्री शर्मा को संविदा पर रखे जाने विषयक	1–ऋषिकेश महायोजना के अन्तिमीकरण हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के सेवानिवृत्त वरिष्ठ नियोजक श्री शर्मा की सेवायें लिए जाने पर बोर्ड द्वारा सहमति दी गई तथा वित्त विभाग के आदेशानुसार भुगतान किया जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि ऋषिकेश महायोजना 2031 के ड्राफ्ट तैयार किये जाने हेतु नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त वरिष्ठ नियोजक, श्री विजय पाल शर्मा की सेवायें नियोजन विभाग द्वारा प्राप्त की गयी हैं। जिसका बिल प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

मद संख्या 66 (03)

हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, की 65 वीं बोर्ड बैठक (परिचालन के माध्यम से) दिनांक 09.03.2018 की अनुपालन आख्या :–

मद सख्या 65(01)	जनपद हरिद्वार स्थित उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वार निर्माणधीन निरीक्षण कक्ष/निरीक्षण भवन को सील मुक्त करने के सम्बन्ध में।	उत्तरी खण्ड गंग नहर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, रूड़की, हरिद्वार द्वारा हरिद्वार–रूड़की मार्ग पर तिरछे पुल के समीप केशव आश्रम मायापुर हरिद्वार में उक्त स्थल पर बेसमेन्ट के निर्माण हेतु खुदाई का कार्य पूर्ण करते हुये राफ्ट हेतु सरिया बिछाने का कार्य किया जा रहा है व किये जा रहे निर्माण की कोई स्वीकृति नही दिखाने के कारण उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम–1973, की धारा 27/28 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं विकास कार्य रोकने सम्बन्धी नोटिस जारी कर अनाधिकृत निर्माण सम्बन्धी वाद संख्या नो0/हरि0/54/2016–17 दिनांक 16 जून 2016 अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंग नहर, सिंचाई विभाग रूड़की, हरिद्वार के विरूद्ध योजित किया गया। सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस का कोई सन्तोषजनक उत्तर न दिये जाने के कारण प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 08.07.2016 को सील किया गया था। विपक्षी के द्वारा प्राधिकरण द्वारा लगाई गयी सील को हटाते हुये पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये जाने के फलस्वरूप पुनः उक्त अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 20.12.2017 को सील किया गया। उक्त निर्माण को पुनः सील करने के पश्चात् अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंग नहर रूड़की ने अपने पत्र दिनांक 21.12.2017 द्वारा सिंचाई विभाग द्वारा किये जा रहे नये गेस्ट हाउस के निर्माण जिसे प्राधिकरण द्वारा सील किया गया था, कि अनुमति प्रदान करने के साथ–साथ राजकीय हित निर्माण को सील मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि सिंचाई विभाग द्वारा भवन को बार–बार सील मुक्त करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। प्रश्नगत निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा अपनी भूमि का क्षेत्रफल 19400.00 वर्ग मीटर बताया गया है। जिसमें 981.00 वर्ग मीटर में भवन बनाने का उल्लेख है। प्रश्नगत निर्माण को हरिद्वार–रूड़की मार्ग से 12.00 मीटर पहुच मार्ग दिखाया गया है। प्रश्नगत स्थल का हरिद्वार महायोजना–2025 मे भू–उपयोग आश्रम दर्शाया गया है। महायोजना जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार न्यूनतम 18.00 मीटर चौड़े मार्ग पर व 1500.00 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल मे सामुदायिक भवन, होटल, निरीक्षण भवन, गेस्ट हाउस, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि आवासीय क्षेत्र मे अधिकतम भू–आच्छादन, क्षेत्रफल व एफ0ए0आर0 की सीमा तक अनुमन्य किये जाने का उल्लेख है। परन्तु 1500.00 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्ड पर होटल, स्थानीय निकाय, राज्य एवं केन्द्र सरकार एवं सार्वजनिक उपकम के कार्यालय प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य किये जाने का उल्लेख है, परन्तु निरीक्षण भवन का कोई उल्लेख नहीं है। चूँकि उक्त भूखण्ड 1500.00 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का है और स्थल को हरिद्वार–रूड़की मुख्य मार्ग से 12.00 मीटर पहुंच मार्ग पर दिखाया गया है, अतः 12.00 चौड़े मार्ग पर निरीक्षण भवन/नियन्त्रण कक्ष की अनुमति दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन विधि से अनुमोदित।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 3662 दिनांक 09 मार्च 2018 द्वारा प्रश्नगत निरीक्षण भवन/नियंत्रण कक्ष में प्राधिकरण द्वारा लगायी गयी सील को खोले जाने हेतु सम्बन्धित अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया। जिसके अनुपालन में दिनांक 14.03.2018 को उक्त भवन में प्राधिकरण द्वारा लगायी गयी सील हटाई गयी। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**

मद संख्या 66 (04)

ऋषिकेश महायोजना प्रारूप–2031 की प्रदर्शनी जन–सामान्य के आपत्ति/सुझाव हेतु लगाये जाने का कार्य किये जाने विषयक

कृपया अवगत कराना है कि ऋषिकेश महायोजना भाग–ब तैयार किये जाने का कार्य नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है । मुख्य नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि महायोजना के ड्राफ्ट को तैयार कर दिया गया है, जिस पर कार्य को शीघ्र सम्पन्न करने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये थे।

ऋषिकेश महायोजना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका (पी0आई0एल00189 संख्या–63/2017 श्री अनिल विष्ट बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड आदि में पारित आदेश दिनांक 20–04–2018 में मा0 न्यायालय द्वारा आदेश की तिथि से 09 माह की अवधि में प्राधिकरण को ऋषिकेश महायोजना को पूर्ण करने तथा शासन को अधिनियम की धारा 10 के अधीन स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिये गये है। उक्त कम में वरिष्ठ नियोजक/ सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 459/गढ़वाल /महायोजना–ऋषिकेश/2018 दिनांक 27–06–2018 तथा मुख्य नगर एवं नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अपने पत्रांक–1337/नग्रानि/ह0रू0वि0प्रा0/2018 दिनांक 02–07–2018 द्वारा सूचित किया गया है कि रिट याचिका (पी0आई0एल0) सं0–63 /2017 श्री अनिल कुमार विष्ट बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड आदि में पारित आदेश दिनांक 20–04–2018 के कम में अवगत कराया गया है कि ऋषिकेश महायोजना प्रारूप–2031 के मानचित्र तथा प्रतिवेदन लेखन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। तत्पश्चात ऋषिकेश महायोजना प्रारूप–2031 पर जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु प्रदर्शनी लगायी जानी है। अतः इस हेतु तैयार की गयी महायोजना प्रारूप पर विचार करते हुए बोर्ड बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः नियोजन विभाग द्वारा तैयार करायी गयी ऋषिकेश महायोजना प्रारूप–2031 पर बोर्ड की स्वीकृति तथा जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत प्रदर्शनी लगाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ /अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

2
ATI

सीमा–विस्तार सम्बन्धी बिन्दु पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तथा कुम्भ /अर्द्ध कुम्भ मेले एवं तीर्थाटन के दृष्टिगत तहसील नरेन्द्रनगर के ढालवाला, मुनिकीरेती, तपोवन से कोडियाला तक का क्षेत्र एवं पौडी जनपद के स्वर्गाश्रम क्षेत्र जो कि जनपद स्तरीय प्राधिकरण में भी अधिसूचित हो गये है उक्त क्षेत्र जो पूर्व से ऋषिकेश महायोजना में सम्मिलित किये है, के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से निर्णय लिया गया तथा इस सम्बन्ध में बोर्ड की संस्तुति अध्यक्ष/आयुक्त के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये ।

ऋषिकेश महायोजना–2031 पर व्यापक जन–सामान्य के सुझाव आमन्त्रित किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की गई :–

1–डी0एफ0ओ0 देहरादून, सदस्य

2–सचिव, एच0आर0डी0ए0, सदस्य

3–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, (प्रतिनिधि, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड), सदस्य

4–नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश, सदस्य

5–अधिशासी अभियन्ता, एच0आर0डी0ए0, सदस्य

6–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड ऋषिकेश, सदस्य

7–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, मुनिकीरेती, सदस्य

उपरोक्त समिति ऋषिकेश महायोजना को विभिन्न स्थानों पर व्यापक प्रचार–प्रसार के माध्यम से जन–सामान्य हेतु प्रदर्शित कराने एवं आपत्ति /सुझाव आमन्त्रित करने एवं प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विस्तृत सुनवाई एवं स्थल निरीक्षण /परीक्षण कर अपने मन्तव्य एवं संस्तुति रिर्पोट आगामी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये ।

Secretary Vice Chairman Chairman

मद संख्या 66 (05)

स्वीकृत हरिद्वार महायोजना 2025 पर आधारित जोनल प्लान में प्राप्त आपत्ति/सुझाव के निस्तारण के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि प्राधिकरण की 64 वी बोर्ड बैठक दिनांक 08–02–2018 के मद संख्या–04 में स्वीकृत हरिद्वार महायोजना–2025 के आधार पर तैयार कराये गये जोनल डवलेपमेन्ट प्लान पर जनसामान्य से सुझाव एवं आपत्ति आमन्त्रित किये जाने के निर्देश दिये गये तथा प्रस्तावित समिति (जिसके सदस्य सचिव, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून एवं अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण है) को भी अनुमोदित किया गया था ।

उक्त कम में बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में स्वीकृत हरिद्वार महायोजना–2025 के आधार पर तैयार कराये गये समस्त 11 जोनल प्रखण्डों को प्रदर्शित करते हुए जन–सामान्य से आपत्ति एंव सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 05.04.2018 को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एंव हिन्दुस्तान में प्रकाशन एंव अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए दिनांक 05.04.2018 से दिनांक 07.05.2018 तक की अवधि नियत की गयी। नियत तिथि तक मात्र 01 ही आपत्ति/सुझाव प्राप्त होने के फलस्वरूप आपत्ति/सुझाव हेतु दिनांक 30.06.2018 तक अवधि बढ़ाते हुए पुनः दिनांक 07.06.2018 को दैनिक समाचार पर दैनिक जागरण एंव अमर उजाला में सूचना का प्रकाशन एंव अन्य व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया। नियत तिथि दिनांक 30.06.2018 तक प्राधिकरण कार्यालय में कुल 17 आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त हुए।

उपरोक्तानुसार प्राप्त 17 आपत्ति एंव सुझावों पर गठित समिति द्वारा दिनांक 13–07–2018 एवं दिनांक 09–08–2018 को सुनवाई की गयी तथा सुनवाई उपरान्त समिति द्वारा आपत्तियों में वर्णित स्थलों का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण उपरान्त समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों /सुझाव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है।

अतः प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

A.T.P

मद संख्या–66 (05) स्वीकृत हरिद्वार महायोजना–2025 पर आधारित जोनल प्लान में प्राप्त आपत्ति /सुझाव के निस्तारण के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त जन–सामान्य से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर समिति की संस्तुतियों पर सैद्धान्तिक सहमति दी गई तथा जोनल प्लान के अनुमोदन हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या–66 (06) भवन मानचित्र से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों के निर्धारण से सम्बन्धित शासनादेश सं0–297 / V –2/06 (आ0)/2018 दिनांक 10–09–2018 को कतिपय संशोधन के साथ अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तथा शासनादेश में स्पष्ट रूप से व्यवसायिक क्षेत्र में सबडिविजन की दर निर्धारित न होने के दृष्टिगत निर्मित क्षेत्र में 2 प्रतिशत एवं अविकसित क्षेत्र में 7 प्रतिशत की दर प्रस्तावित की गई शेष शासनादेशानुसार है। उक्त के सम्बन्ध में शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये है। तदोपरान्त निर्णय लिये जाने हेतु उपाध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0 को अधिकृत किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य हैं।

मद संख्या–66 (07) भवनों /भूखण्डों की कीमत पर पुर्न मूल्यांकन हेतु लगायी जाने वाली ब्याज दर सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त विस्तृत वित्तीय बिन्दुओं का विस्तार पूर्वक स्पष्ट मन्तव्य सहित एवं सुस्पष्ट तथ्यों सहित आगामी बोर्ड बैठक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या–66 (08) उत्तराखण्ड शासन, आवास विभाग के शासनादेश सं0–1286 /आ0/06/–495(आ0)/2004 दिनांक 26 जुलाई, 2006 द्वारा विकास प्राधिकरण तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित /निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों /भूखण्डों के समस्त श्रेणियों के आवंटन हेतु अनुसचित जाति 19

Secretary Vice Chairman Chairman

पत्रावली संख्याः–प्रशा0 2(क)22/215/2018–19

मद संख्या 66 (06)

भवन मानचित्र से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों के निर्धारण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 297/V–2/06(आ0)2016/2018 दिनांक 10.09.2018 को कतिपय संशोधन के साथ अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 297/V–2/06(आ) 2016/2018 दिनांक 10 सितम्बर 2018 के द्वारा राज्य के विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों का निर्धारण किया गया है। जिसे कार्यादेश संख्या 1540 दिनांक 18.09.2018 द्वारा दिनांक 10.09.2018 से प्राधिकरण में लागू किया गया है। शासनादेश के साथ संलग्न विवरण के टिप्पणी के बिन्दु संख्या 05 के अनुसार शुल्कों में यदि स्थानीय परिस्थिति के अनुसार कोई परिवर्तन की आवश्यकता हो तो अपनी बोर्ड से प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाये। शसनादेश में भू उपविभाजन शुल्क निर्मित एंव विकसित क्षेत्र में 01 प्रतिशत तथा अविकसित क्षेत्र में 05 प्रतिशत लिए जाने का प्राविधान किया गया है। इसमें व्यवसायिक निर्माणों हेतु देय उपविभाजन शुल्क का कोई उल्लेख नहीं है।

उक्त शासनादेश लागू होने से पूर्व हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय भवन निर्माण में उपविभाजन शुल्क 01 प्रतिशत तथा 02 प्रतिशत व्यवसायिक भवन निर्माण की स्वीकृति में लिए जाते रहे हैं। प्राधिकरण द्वारा विगत में नियमित की गयी कालोनियों में पृथक से भू उपविभाजन शुल्क का निर्धारण किया गया है। चूंकि नियमित की गयी कालोनियों को छोडकर शेष स्थानों पर आवासीय निर्माणों हेतु 01 प्रतिशत तथा व्यवसायिक निर्माणों हेतु 02 प्रतिशत उपविभाजन शुल्क लिया जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त शासनादेश में निर्धारित उपविभाजन शुल्कों के दृष्टिगत हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण द्वारा संशोधित उपविभाजन शुल्क का निर्धारण निम्नवत् प्रस्तावित किया जाता है।

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या 297 दिनांक 10.09.2018 द्वारा निर्धारित भू उपविभाजन शुल्क की दर			हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित दर	
		आवासीय दर	व्यवसायिक दर	आवासीय दर	व्यवसायिक दर
01.	निर्मित/विकसित	01 प्रतिशत	–	01 प्रतिशत	02 प्रतिशत
02.	अविकसित	05 प्रतिशत	–	05 प्रतिशत	05 प्रतिशत

अतः उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एंव विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 66 (07)

भवनों/भूखण्ड़ों की कीमत पर पुर्नमूल्यांकन हेतु लगायी जाने वाली ब्याज दर के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परिसम्पत्यिों के मूल्यांकन की प्रकिया हेतु नियमावली दिनांक 17.07.1998 प्राधिकरण में प्रभावी हैं। आवास अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–4049 दिनांक 20 अक्टूर 1999 विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद की सम्पत्तियों की कॉस्टिंग के लिए आदर्श मार्ग सिद्धान्त लागू किये गये । हरिद्वार विकास प्राधिकरण की मूल्यांकन नियमावली के विन्दु 3.6 में प्राविधान किया गया कि " **विकसित भूमि की दर को अंतिम (फ्रीज) कर दिया जाए। यह अन्तिम दर एक निश्चित तिथि तक के लिए होगी। यह तिथि गणना करते समय निर्धारित की जाएगी। कट आफ डेट बाद होने वाले पंजीकरणों पर कट आफ डेट से पंजीकरण दिनांक तक का विकसित भूमि की सेक्टर दर पर @15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज लिया जाएगा**"। उक्त के कम मे निम्नरीति से ब्याज लगाया जाता है :–

उदाहरणः–

1–विकसित सम्पत्ति का अंतिम मूल्य– रू0–100

2–कट आफ डेट– 31.03.2016

3–पुर्नमूल्यांकन हेतु तिथि 01.04.2018 से 31.03.2017

4–पुनमूल्यांकन हेतु ब्याज दर– 15 प्रतिशत

मूल्यांकनः–प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु

5–दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक मूल्य– 100+(100x15%)=115-00

मूल्यांकनः–प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु

6–दिनांक 01.04.2017 से 31.04.2018 तक मूल्य– 115+(115x15%)=132.25-00

इस पद्धति से कॉस्टिंग प्रकिया अपनाई जा रही है। उक्त के कारण से जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट एवं बाजारू दर से अत्यधिक वृद्धि हुई है। प्राधिकरण द्वारा अपनाई गयी सम्पत्ति मूल्यांकन के फलस्वरूप निर्धारित दर पर सम्पत्ति के विक्रय न होने के कारण कई–कई वर्ष से भवन /भूखण्ड रिक्त है।

शासन द्वारा जारी कॉस्टिंग के लिए आदर्श मार्ग दर्शक सिद्धान्त के विन्दु संख्या–2 में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी योजनायें जिनमें विकास कार्य अपूर्ण है वहॉ भू–अध्यापित हेतु लोनिंग एजेन्सी के सम्बन्धित कैटेगरी के कार्य हेतु भू–अध्यापित ऋण की नवीनतम् ब्याज दर में 1 प्रतिशत बढाकर प्राप्त दर पर भूमि का मूल्यांकन प्रतिवर्ष बढाया जाए। पूर्वतया विकसित अथवा नगर निगम को हस्तांतरित योजनाओं में भूमि की दर सर्किल रेट के बराबर रखी जाए । विशेष परिस्थितियों में (बोर्ड) दरों को निर्धारित करने के लिए सक्षम होना चाहिए । परन्तु विशेष कारणों का पूर्व उल्लेख किया जाना चाहिए।

ऐसी परिस्थिति में प्रस्ताव है कि मूल्यांकन की तिथि को बैकों में प्रचलित भवन ऋण की दर का 1 प्रतिशत ब्याज दर बढाकर रिक्त सम्पत्तियों का मूल्यांकन निम्न रीति से करायी जानी प्रस्तावित हैः–

मूल्यांकन का प्रस्तावः–

1–विकसित सम्पत्ति का अंतिम मूल्य– (उदाहरण स्वरूप) रू0–100

2–कट आफ डेट– 31.03.2016

3–पुर्नमूल्यांकन हेतु तिथि 01.04.2018

4–पुनमूल्यांकन हेतु ब्याज दर– (उदाहरण स्वरूप बैक की दर) 09 प्रतिशत

5–ब्याज दर पर एक प्रतिशत अधिक लिये जाने के परिणाम स्वरूप दर– 10 प्रतिशत

मूल्यांकन तिथि एवं पुर्नमूल्यांकन की तिथि के अनुसार समयावधिः–

1 मूल्यांकन की कट आफ डेट– (उदाहरण स्वरूप) 31.03.2016

2 पुर्नमूल्यांकन की तिथि– (उदाहरण स्वरूप) 01.04.2018

3–दोनो की तिथि का अन्तरण– 02वर्ष अर्थात 365x2= 730 दिन

मूल्यांकनः–

6–100+(100x10%/365x730=20)=120.00

उपरोक्त प्रकिया पर मूल्य निर्धारित करते हुए आंगणित मूल्य को आरक्षित मूल्य मानते हुए नियमानुसार व्यवसायिक सम्पत्ति नीलामी एवं आवासीय सम्पत्ति नीलामी/पंजीकरण के माध्यम से विकय किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 66 (08)

आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में अपात्र व्यक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के सम्बन्ध में।

आवास विभाग , उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या–1286/आ0/06/–495(आ0)/2004 दिनांक 26 जुलाई 2006 द्वारा विकास प्राधिकरण तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यसायिक भवनों/भूखण्ड़ों के आवंटन में निम्नानुसार आरक्षण व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैः–

आरक्षणः–

शीर्ष आरक्षणः–

क0सं0	वर्ग	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	19
2	अनुसूचित जन जाति	04
3	अन्य पिछडा वर्ग	14
4	विधायक , सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05
5	राज्य कार्मिक एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिक, जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो।	06
6	सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन से मान्यता प्राप्त पत्रकार	02
कुल		50

उपरोक्त आरक्षण के अन्तर्गत महिलाओं, सीनियर सिटीजन, विकलांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संगाम सेनानियों के आश्रित को निम्नानुसार क्षेतिज आरक्षण लागू किया गया है।

1– महिलायें–30 प्रतिशत

2–सीनियर सिटीजन– 10 प्रतिशत

3–भूतपूर्व सैनिक– 02 प्रतिशत

4–विकलांग– 03 प्रतिशत

5–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित– 02 प्रतिशत

ई0डब्लू0एस0सम्पत्तियों हेतु :–

A–आय सीमाः–

1. दुर्बल आय वर्ग हेतुः (आवास अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1205/वी–2–2014–23(आ0)/2011 दिनांक 29 नवम्बर 2014)

रू0–1,00,000.00 (एक लाख) तक। उक्त वार्षिक आय समय–2 पर कॉस्ट इण्डेक्स के आधार पर पुनरीक्षित किये जायेंगे)

2. दुर्बल आय वर्ग हेतु ((आवास अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–506/वी–आ0–2016–23(आ0)/2016 दिनांक 30 मार्च 2016)
रू0–3,00,000.00 (तीन लाख) तक । उक्त वार्षिक आय समय–2 पर कॉस्ट इण्डेक्स के आधार पर पुनरीक्षित किये जायेंगे)

A–आरक्षणः–

1– दुर्बल आय वर्ग हेतु (आवास अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1205/वी–2–2014–23(आ0)/2011 दिनांक 29 नवम्बर 2014)

1. शासनादेश संख्या–1286 दिनांक 26 जुलाई 2006 के अनुसार आवंटन प्रकिया में अन्य पिछडा वर्ग /अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति एवं क्षैतिज आरक्षण अन्तर्गत महिलायें, सीनियर सिटीजन, विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित को नियमानुसार आरक्षण होगा । आरक्षण का कोटा पूरा न होने पर सामान्य श्रेणी के दुर्बल आय वर्ग के राज्य के स्थाई निवासी पात्र होगे।
2. दुर्बल आय वर्ग हेतु ((आवास अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–506/वी–आ0–2016–23(आ0)/2016 दिनांक 30 मार्च 2016 के अनुसार भवनों के आवंटन में प्रचलित शासकीय नीतियों के अनुसार आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राज्य कार्मिक एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिक, जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो की आय का विवरण वेबसाईट के सोर्स के अनुसार :

1–उत्तराखण्ड के मा0 विधायक हेतु सैलरी :'– रू0–35,000.00
2–मा0 सांसद की सैलरी– :– रू0–50,000.00
3–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी– (पेंशन) :– रू0–26,520.00
4– राज्य कार्मिक एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिक, जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो के मामले में अवगत कराना है कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नये कार्मिका का न्यूनतम् वेतन रू0– फिक्स किया गया है। ऐसे कर्मचारियों की 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले राज्य कार्मिक एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिक ई0डब्लू0एस0 हेतु निर्धारित आय सीमा–3,00,000.00 की सीमा को पार कर जाऐंगे ।

अतः उपरोक्तानुसार विधायक , सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व राज्य कार्मिक एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिक जो कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो , अच्छादित नहीं है। उल्लेखनीय है कि उक्त श्रेणी के भवनों का पूर्व में कई बार विज्ञापन के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराये जाने के उपरान्त भवनों के केता उपलब्ध नहीं हुए है।

अतः प्रस्ताव है कि उपरोक्त के श्रेणी के व्यक्तियों को ई0डब्लू0एस0 हेतु आरक्षित भवनों को सामान्य श्रेणी के आवेदकों के माध्यम से विक्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रतिशत, अनुसूचित जन–जाति 4 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 14 प्रतिशत, विधायक, सांसद, स्वतन्त्रता सेनानी 5 प्रतिशत, राज्य कार्मिक एवं सुरक्षा सेना के कार्मिक जो 50 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण कर चुके हों 6 प्रतिशत, सूचना विभाग उत्तराखण्ड शासन से मान्यता प्राप्त पत्रकार 2 प्रतिशत सहित कुल 50 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान है, उक्त आरक्षण में महिलायें, सीनियर सिटीजन, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, स्वतन्त्रता श्रेणी के आश्रित को होरिजैन्टल आरक्षण भी प्राप्त है। विभिन्न श्रेणियों के सृजित सम्पत्तियों में दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के सम्पत्तियों के आवंटन हेतु पात्र व्यक्ति की आय रूपये 3.00 लाख वार्षिक निर्धारित है। शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण श्रेणी के यथा विधायक, सांसद, स्वतन्त्रता सेनानी राज्य कार्मिक एवं सुरक्षा सेना के कार्मिक तथा सूचना विभाग द्वारा उत्तराखण्ड शासन से मान्यता प्राप्त पत्रकार की श्रेणी के आवेदक की आय सीमा शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक होने के कारण उक्त आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति दुर्बल आय वर्ग भवनों के आवंटन के पात्र नही है जिसकारण इन श्रेणी के दुर्बल आय वर्ग भवनों को सामान्य श्रेणी के अर्न्तगत आवंटित किये जाने का प्रस्ताव उचित है। इस सम्बन्ध में सचिव आवास विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया है कि इस सम्बन्ध में नया शासनादेश निर्गत किया जा चुका है तद्नुसार बोर्ड द्वारा शासन को पत्रालेख प्रेषित किये जाने तथा तद्नुसार शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करने एवं प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

मद संख्या–66 (09) प्राधिकरण बोर्ड के पुर्नगठन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त नियमानुसार सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये ।

मद संख्या–66 (10) श्री श्रीपाल पुत्र श्री इमरत निवासी झबीरन जट पोस्ट मंगलौर जिला हरिद्वार में अपने आवासीय परिसर में स्थापित कराये गये मोबाइल टावर की शमन स्वीकृति हेतु मार्ग की चौडाई में शिथिलता प्रदान करने

Secretary Vice Chairman Chairman

पत्रावली संख्याः– प्रशा0 2(क) 22/34/2018–19

मद संख्या 66 (09)

प्राधिकरण बोर्ड के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण के बोर्ड गठन से सम्बन्धित शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 3533 दिनांक 04.01.2007 के द्वारा प्राधिकरण बोर्ड का गठन किया गया है। उक्त गठन में नगर पालिका परिषद हरिद्वार, नगर पालिका परिषद ऋषिकेश एंव नगर पंचायत मुनिकी रेती, नगर पंचायत रानीपुर के अध्यक्षों को प्राधिकरण बोर्ड सदस्य नामित करते हुए घोषित किया गया है। वर्तमान में उक्त निकायों को उच्चीकृत करते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश को नगर निगम तथा मुनिकी रेती को नगर पालिका परिषद एंव रानीपुर नगर पंचायत को शिवालिक नगर, नगर पालिका कर दिया गया है। शासन द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र का सीमा विस्तार करते हुए सम्पूर्ण हरिद्वार जनपद को प्राधिकरण क्षेत्र घोषित किया गया है। जिसमें उक्त निकायों के अतिरिक्त नगर निगम रूडकी, नगर पालिका परिषद लक्सर, नगर पालिका परिषद मंगलौर, नगर पंचायत लंढौरा, नगर पंचायत भगवानपुर, नगर पंचायत झबरेडा तथा नगर पंचायत पिरान कलियर का क्षेत्र सम्मिलित है।

अतः हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित स्थानीय निकायों के नगर निगमों के मुख्य नगर अधिकारी तथा नगर पालिका एंव नगर पंचायतों के अध्यक्षों को प्राधिकरण बोर्ड का सदस्य शासन स्तर से नामित करते हुए बोर्ड को पुर्नगठित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

पत्रावली संख्याः–नो0/रूडकी/221/2017–18

मद संख्या 66 (10)

श्री श्रीपाल पुत्र श्री इमरत निवासी झबीरन जट पोस्ट मंगलौर जिला हरिद्वार में अपने आवासीय परिसर में स्थापित कराये गये मोबाइल टावर की शमन स्वीकृति हेतु मार्ग की चौडाई में शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

श्री श्रीपाल पुत्र श्री इमरत निवासी झबीरन जट पोस्ट मंगलौर जिला हरिद्वार द्वारा अपने आवासीय परिसर में मोबाईल टॉवर का निर्माण कराया गया था। इस हेतु स्थानीय निवासीयों की शिकायत पर कार्यालय में वाद संख्या–नो0/रूडकी/221/2017–18 दायर किया गया। टॉवर निर्माण अनाधिकृत होने के कारण दिनांक 16.04.2018 का ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये। ध्वस्तीकरण आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा मा0 न्यायालय, आयुक्त के समक्ष अपील की गयी। जिसे गृहयता के स्तर पर ही प्राधिकरण का ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त कर समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किये जाने हेतु प्रति प्रेषित किया गया। विपक्षी द्वारा लगातार टॉवर निर्माण शमन कर स्वीकृति का अनुरोध किया जा रहा हैं। जांचोपरान्त पाया गया कि उपनियमानुसार स्थल पर पहुंच मार्ग 9.00 मी0 होना आवश्यक है जबकि मौके पर पहुंच मार्ग की चौड़ाई 5.00 मीटर से भी कम लगभग 3.5 मी0 है। जिसके चलते टॉवर निर्माण शमन नहीं किया जा सका। चूंकि स्थल सघन निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत आबादी के मध्य स्थित है जिसकी स्थानीय निवासियों द्वारा रेडिएशन सम्बन्धी शिकायत की गई है। इस सम्बन्ध में बी0एस0एन0एल0 की टर्म सैल को पत्र दिनांक 27.06.2018 प्रेषित किया गया था। जिसका आतिथि तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, टावर स्थापित है परन्तु उपयोग में नहीं आ रहा है। उपनियमानुसार स्कूल, अस्पताल को छोडकर अन्य भू–उपयोग में विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्त अनुज्ञा देय होगी।

अतः विशेष परिस्थितियों में स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा पहुंच मार्ग की चौंडाई 5.00 मी0 से कम होने पर प्रकरणों को गुण–दोष के आधार पर शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई अतः टावर आबादी में होने तथा बी0एस0एन0एल0 के टर्म सैल द्वारा रेडिएशन सम्बन्धी अनुमति न देने के कारण बोर्ड द्वारा शमन किये जाने पर असहमति प्रदान करते हुए प्रकरण को एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

मद संख्या–66 (11) हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का वित्तीय वर्ष 2019–20 का प्रस्तावित आय–व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 का दिनांक 31–12–2018 तक का वास्तविक आय–व्यय पर विस्तार से प्रत्येक मदवार विचार–विमर्श किया गया तथा प्राधिकरण की आय बढोत्तरी/ मानीटरिंग करने के निर्देश उपाध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0 को दिये गये तदोपरान्त वित्तीय वर्ष 2019–2020 के प्रस्तावित बजट को बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–66 (12) प्रदेश में आवास विभाग के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–40/V–2–2019–83 (आ0)/2018 दिनांक 10 जनवरी, 2019 को विभिन्न प्राधिकरणों में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के शमन शुल्क की दरों का पुनर्रीक्षण किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त शमन शुल्क की पुनर्रीक्षित दरों को अंगीकृत करते हुए तद्नुसार प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या–66 (13) उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून द्वारा प्रस्तावित एकल आवास, व्यवसायिक भवनों, आवासीय भू–उपयोग में व्यवसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम /क्लीनिक /ओ0पी0डी0 /पैथोलोजी लैब /डाइग्नोस्टिक सेन्टर /चाइल्ड केयर /नर्सरी स्कूल कैच एवं प्ले ग्रुप को एक बार समाधान योजना के तहत शमन /विनियमितिकरण किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त प्राधिकरण की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्राधिकरण में पूर्व से प्रचलित शमन उपविधि 1996 में उल्लिखित

Secretary Vice Chairman Chairman

मद संख्या–66(11)

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2019–20 का प्रस्तावित आय–व्ययक।
वित्तीय वर्ष 2018–19 का दिनांक 31.12.2018 तक का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित आय–व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Haridwar Development Authority, Haridwar

	Proposed Budget 2019-20						(Rs. In lac)		
		Actual	Actual	Actual	Proposed	Actual	Proposed	Actual	Proposed
		31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	2017-18	31.03.2018	2018-19	31.12.2018	2019-20
	Opening Balance	4584.58	5073.63	5961.01	6188.52	6188.52	0.00	0.00	0.00
A	**Revenue Income**								
1	Interest on investments	313.05	355.69	359.31	320.00	246.83	320.00	151.86	325.00
2	Map Fee	253.03	306.29	41.53	150.00	47.34	150.00	19.38	100.00
3	Subdivision Fee50%	0.00	0.00	204.74	200.00	198.50	200.00	120.27	200.00
4	Compound Fee 25%	369.27	73.76	71.06	175.00	107.53	175.00	53.50	175.00
5	Supervision Fee	40.89	29.47	52.08	60.00	57.45	60.00	14.97	50.00
6	Other Income (Tender, Etc.)	6.58	24.66	63.63	30.00	22.07	30.00	6.52	30.00
7	Development Fee 10%	217.65	23.33	32.85	75.00	37.62	75.00	14.41	80.00
8	Land use conversion Fee 10%	23.40	2.11	11.25	6.00	9.72	6.00	20.80	25.00
9	Ambaar Fee	12.80	10.50	14.78	25.00	16.93	25.00	6.48	30.00
10	Free hold Fee 10%	28.76	2.75	1.00	5.00	3.11	5.00	0.05	5.00
11	Maintenance Fee of Harilok	2.36	7.56	2.77	5.00	3.90	5.00	1.10	4.00
12	Maintenance Fee of Inderlok	0.00	7.38	7.04	5.00	6.53	5.00	8.72	10.00
13	Maintenance Fee of Transport Nagar,	0.00	0.11	0.30	4.00	1.88	4.00	0.18	3.00
14	Haritama Fee	25.60	21.00	29.56	50.00	33.86	50.00	12.97	80.00
15	Sale of Broucher	0.58	0.66	0.00	10.00	0.50	10.00	0.31	10.00
A	**Total Revenue Income**	**1293.97**	**865.27**	**891.90**	**1120.00**	**793.77**	**1120.00**	**431.52**	**1127.00**

C.F.O Secretary Vice Chairman Chairman/Commissioner

Haridwar Development Authority, Haridwar

Proposed Budget 2019-20

(Rs. In lac)

		Actual 31.03.2015	Actual 31.03.2016	Actual 31.03.2017	Proposed 2017-18	Actual 31.03.2018	Proposed 2018-19	Actual 31.12.2018	Proposed 2019-20
B	**Capital Income**								
1	Shivlok scheme	3.16	3.56	2.18	3.00	3.08	3.00	0.19	3.00
2	Harilok scheme	2.35	7.43	5.67	25.00	9.82	25.00	3.69	20.00
3	Shyamlok scheme	3.54	0.45	0.28	10.00	15.33	10.00	1.93	5.00
4	Ashray Yojana	3.78	9.04	7.08	10.00	17.39	18.00	5.32	8.00
5	Transport Nagar, Haridwar	340.41	196.13	121.90	3500.00	144.27	3500.00	60.04	4000.00
6	Indra Lok Scheme -1	80.36	156.58	26.88	2300.00	49.24	2300.00	163.20	3000.00
7	Indra Lok Scheme - 2	0.00	0.00	0.00	1700.00	0.00	1700.00	0.00	1800.00
8	Asaf nagar roorkee scheme	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00
9	Loan (HUDCO & other finencial inst.)	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	3500.00	0.00	3000.00
10	Recovery from staff for HBA & car loan etc.	0.56	0.32	0.28	7.00	1.93	7.00	3.47	3.00
11	Deposit work (AKM. MLA Nidhi Etc.)	0.00	622.19	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
12	Infrast. Devt. Fund Works	0.00	444.83	785.46	1000.00	924.84	1000.00	578.66	1630.00
13	Shelter Fund EWS/LIG	0.00	0.00	320.85	150.00	345.95	350.00	12.42	100.00
	Total Capital Income	**434.16**	**1440.53**	**1274.03**	**10405.00**	**1511.85**	**12913.00**	**828.92**	**13919.00**
	Total Income (A+B)	**1728.13**	**2305.80**	**2165.93**	**11525.00**	**2305.62**	**14033.00**	**1260.44**	**15046.00**
	Total Income including Opening balance	**6312.71**	**7379.43**	**8126.94**	**17713.52**	**8494.14**	**14033.00**	**1260.44**	**15046.00**
A	***Revenue Expenditure***								
I-	***Establishment***								
(i)	Staff salary & allowances	268.02	333.76	317.10	450.00	380.89	500.00	351.61	525.00
(ii)	T.A. bill	1.46	1.84	1.20	2.00	1.38	2.50	0.74	2.00
(iii)	Encashment /Pension Anshdan	0.00	0.00	4.83	5.00	4.32	8.00	0.00	5.00
(iv)	Honorarium	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50
(vi)	Medical re-imbursement	0.21	0.31	1.27	3.50	2.00	4.00	2.14	8.00
	Total (A)	**269.69**	**335.91**	**324.40**	**461.00**	**388.59**	**515.00**	**354.49**	**540.50**

C.F.O

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

Haridwar Development Authority, Haridwar

Proposed Budget 2019-20

(Rs. In lac)

		Actual 31.03.2015	Actual 31.03.2016	Actual 31.03.2017	Proposed 2017-18	Actual 31.03.2018	Proposed 2018-19	Actual 31.12.2018	Proposed 2019-20
B									
2-	**Office / Misc. Expenditure**								
(i)	Postage	0.36	0.39	0.30	0.50	0.30	0.50	0.17	0.50
(ii)	Stationary	2.71	1.90	2.70	4.00	2.30	5.00	1.44	5.00
(iii)	Office maintanace	16.02	17.00	11.40	25.00	21.04	25.00	14.98	25.00
(iv)	Chairman office maintanace	2.73	1.08	0.49	3.00	0.00	3.00	0.53	3.00
(v)	Telephone Expenditure.	3.00	2.42	18.00	2.50	**2.23**	4.00	2.09	4.00
(vi)	Library	0.03	0.11	0.13	0.50	0.03	0.50	0.06	0.50
(vii)	Leagal Expenditure.	36.30	19.80	8.67	40.00	16.29	40.00	0.60	40.00
(viii)	Atithi Satkar	1.40	0.83	0.81	2.00	1.27	2.00	0.50	2.00
(ix)	Printing	0.57	0.40	2.02	3.00	1.05	3.00	1.55	3.00
(x)	Advertisement	8.67	22.80	10.84	20.00	**19.50**	20.00	19.55	25.00
(xi)	Audit Fee	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
(xii)	Misc. Expenditure	4.13	5.11	5.29	10.00	3.62	10.00	4.00	10.00
(xiii)	Employee Welfare	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
(xiv)	Maint. Of Machines	1.04	0.21	1.08	1.50	0.76	2.00	0.21	1.50
(xv)	Maint of Electricity	4.41	3.71	5.26	6.00	5.34	6.00	5.00	6.00
(xvi)	Discretionary	0.00	1.37	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	2.00
(xvii)	Temp. Advance.	2.41	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.69	2.00
(xviii)	Computer. Maintenance.	0.93	0.18	1.21	4.00	0.73	5.00	1.45	4.00
(xix)	Transfer of ambar Fee	6.26	0.00	4.51	15.00	0.72	10.00	0.00	15.00
(xx)	Maint. In Harilok	10.33	11.03	9.73	10.00	6.32	10.00	3.45	8.00
(xxi)	Maintenance Expenses of Inderlok	0.00	5.40	18.15	10.00	2.00	10.00	1.63	7.00
(xxii)	Maintenance Espenses Transport Nagar,	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
(xxii)	F.B.T. & Other Tex	40.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00
	Total (B)	**141.30**	**93.74**	**105.59**	**423.00**	**83.50**	**422.00**	**59.90**	**424.50**
C									
3-	**Vehicle**								
(i)	Maint.	4.37	2.94	2.47	2.00	**2.07**	5.00	1.44	3.00
(ii)	Petrol / Diesel	8.57	8.07	9.84	12.00	**11.92**	16.00	7.85	18.00
(iii)	Vehicle on rent	0.00	7.63	8.00	15.00	12.82	20.00	10.36	30.00
	Total (C)	**12.94**	**18.64**	**20.31**	**29.00**	**26.81**	**41.00**	**19.65**	**51.00**

C.F.O Secretary Vice Chairman Chairman/Commissioner

Haridwar Development Authority, Haridwar

Proposed Budget 2019-20

(Rs. In lac)

		Actual 31.03.2015	Actual 31.03.2016	Actual 31.03.2017	Proposed 2017-18	Actual 31.03.2018	Proposed 2018-19	Actual 31.12.2018	Proposed 2019-20
D									
4-	Advance to Employee								
(i)	Vehicle	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
(ii)	H.B.A	0.00	0.00	6.21	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
	Total (D)	**0.00**	**0.00**	**6.21**	**12.00**	**0.00**	**12.00**	**0.00**	**12.00**
E									
5-	Master Plan	26.95	0.00	41.68	50.00	5.42	50.00	11.16	40.00
	Total (E)	**26.95**	**0.00**	**41.68**	**50.00**	**5.42**	**50.00**	**11.16**	**40.00**
F									
6	**Computrization of H D A office**	0.00	0.00	72.90	50.00	4.54	50.00	0.00	30.00
	Total Revenue exp..(A+B+C+D+E+F)	**450.88**	**448.29**	**571.09**	**1025.00**	**508.86**	**1090.00**	**445.20**	**1098.00**
A	**Capital Exp.**								
1	Purchase of Vehicle / Machine	0.00	11.43	16.76	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
2	Purchase of Computer.	2.91	0.55	0.13	18.00	**16.28**	35.00	4.17	15.00
3	Femiture / fixture	1.92	6.48	4.84	5.00	2.03	12.00	7.47	10.00
	Total (A)	**4.83**	**18.46**	**21.73**	**38.00**	**18.31**	**62.00**	**11.64**	**40.00**
B									
5	Purchase of Land								
(i)	For New Scheme	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3500.00
	Total(B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3000.00**	**0.00**	**3000.00**	**0.00**	**3500.00**
C									
6	**Development/ const Works in Schemes**								
(i)	Shivlok Scheme	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.40	1.00
(ii)	Shyamlok Scheme	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
(iii)	Harilok Scheme	0.35	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
(iv)	Repayment of loan	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	325.00	0.00	1000.00
(v)	Interest. on Loan	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	125.00	0.00	360.00
(vi)	Consultancy / Training Etc.	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	10.00
(vii)	Infra. Dev. Fund Works	165.29	406.34	695.00	2500.00	1171.68	2500.00	238.92	3500.00
(viii)	Deposit Works /kumb mela 2016	0.00	270.14	281.12	25.00	18.53	25.00	12.90	50.00
(ix)	Haritima / Plantation	18.11	13.84	15.45	70.00	**68.94**	80.00	69.85	80.00
(x)	Transport. Nagar Scheme	12.70	0.64	7.00	280.00	0.00	300.00	0.00	300.00
(xi)	BHEL. Rehab. Scheme	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

C.F.O Secretary Vice Chairman Chairman/Commissioner

Haridwar Development Authority, Haridwar

Proposed Budget 2019-20

(Rs. In lac)

		Actual 31.03.2015	Actual 31.03.2016	Actual 31.03.2017	Proposed 2017-18	Actual 31.03.2018	Proposed 2018-19	Actual 31.12.2018	Proposed 2019-20
(xii)	Indra Lok Scheme- 1	576.54	259.20	242.03	400.00	93.11	600.00	137.16	700.00
(xiii)	Indra Lok Scheme - 2	0.00	0.00	100.00	1200.00	142.00	2500.00	0.00	2500.00
(xiv)	Asaf nagar roorkee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
(xv)	NEW Scheme	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00
(xvi)	Board fund	3.59	1.51	0.00	500.00	4.79	3000.00	10.02	800.00
	Total (C)	**783.37**	**951.67**	**1345.60**	**5543.00**	**1499.05**	**9881.00**	**469.25**	**10408.00**
	Total Capital Expenditure	**788.20**	**970.13**	**1367.33**	**8581.00**	**1517.36**	**12943.00**	**480.89**	**13948.00**
	Total Expenditure	**1239.08**	**1418.42**	**1938.42**	**9606.00**	**2026.22**	**14033.00**	**926.09**	**15046.00**
	Closing Balance	**5073.63**	**5961.01**	**6188.52**	**8107.52**	**6467.92**	**0.00**	**334.35**	**0.00**

C.F.O

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

पत्रावली संख्याः–प्रशा0 2(क) 22/218/2018–19

मद संख्या–66(12)

प्रदेश में आवास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न प्राधिकरणों में आवासीय एंव गैर आवासीय भवनों के शमन शुल्क की दरों का पुनर्रीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

आवास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के आदेश संख्या 40/V–2–2019–83(आ0)/2018, दिनांक 10 जनवरी 2019 **(संलग्नक ड़)** के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश आवास अनुभाग–01 के शासनादेश संख्या 2281/9–आ0–1–96–डी0ए0/01 लखनऊ, दिनांक 22.06.1998 द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) उपविधि 1998 प्रख्यापित करते हुए शमन शुल्कों का निर्धारण किया गया है। उक्त उपविधि प्राविधान एंव शमन की दरों को राज्य के अन्य प्राधिकरणों द्वारा बोर्ड की बैठकों के कम में अंगीकरण कर लिया गया था। सम्प्रति उक्त शासनादेश में निर्धारित शमन शुल्क की दरों पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत लिए गये निर्णयानुसार उक्त उपविधि में आवासीय एंव गैर आवासीय भवनों के शमन शुल्क की दरों में दिनांक 01.04.2019 से संशोधित करते हुए समस्त प्राधिकरणों द्वारा उनकी बोर्ड बैठक में उपरोक्त पुनर्रीक्षित दरें अंगीकृत करते हुए लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार शासन द्वारा आवासीय एंव गैर आवासीय भवनों के शमन शुल्क की पुनर्रीक्षित दरों को अंगीकृत करते हुए दिनांक 01.04.2019 से लागू किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

पत्रावली संख्याः– प्रशा0 2(क) 22/217/स्व0श0यो0/2018–19

मद संख्या–66(13)

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून द्वारा प्रस्तावित एकल आवास, व्यवसायिक भवनों, आवासीय भू–उपयोग में व्यवसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ ओ0पी0डी0 /पैथोलोजी लैब/डाइग्नोस्टिक सेन्टर/चाइल्ड केयर/नर्सरी स्कूल कैच एंव प्ले ग्रुप को एक बार समाधान योजना के तहत शमन/विनियमितिकरण किये जोन के सम्बन्ध में।

आवास अनुभाग–2 , उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के आदेश संख्या 41/V–2–2017–105(आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 15 जनवरी 2019 (संलग्नक "च") के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि राज्य के प्राधिकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत एकल आवासीय, व्यवसायिक भवन, आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत व्यवसायिक दुकानें, नर्सिंग होम, क्लीनिक, स्कूल आदि गतिविधियां वर्तमान में संचालित हो रही हैं। उक्त गतिविधियां भवन उपविधि के मानकों के अन्तर्गत पूर्ण/आंशिक रूप से आच्छादित न होने के कारण उक्त भवनों के मानचित्र स्वीकृत नहीं हो सके हैं, राज्य की भौगोलिक स्थिति एंव भूमि की सीमित उपलब्धता तथा राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उक्त गतिविधियों को शमन/विनियमित किये जाने हेतु एक बार समाधान (**One time settelement**) के अन्तर्गत शमन योजना लागू करते हुए संलग्न उपविधि के प्राविधानों को यथा आवश्यकतानुसार प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित अंगीकृत करने तथा यदि स्थानीय परिशिष्ठ एंव आवश्यकताओं के दृष्टिगत यदि कोई परिष्कार अपेक्षित हो तो बोर्ड की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने की आपेक्षा की गयी है।

शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी एक बार समाधान योजना (**One time settelement**) में हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की स्थानीय परिस्थिति के दृष्टिगत कम संख्या 01 पर अंकित मानक "पृष्ठ सैट–बैक", कम संख्या 02 पर अंकित "पार्श्व सैट–बैक" कम संख्या 03 पर अंकित "फंट सैट–बैक" तथा कम संख्या 04 पर अंकित ग्राउण्ड कवरेज के साथ–साथ समस्त प्रकार के निर्माणों मे पार्किंग के सम्बन्ध में संशोधन आवश्यक है। उक्त संशोधन का विस्तृत विवरण (**संलग्न "छ"**) पर उपलब्ध है।

अतः शासन के उक्त प्रस्ताव के कम में (**One time settelement**) के अन्तर्गत शमन योजना हेतु प्रस्तावित उपविधि में उल्लिखित प्राविधानों को स्थानीय परिस्थिति के अनुसार संशोधन सहित अंगीकृत करते हुए संशोधित प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड/सभा के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

पत्रावली संख्याः–प्रशा0 2(क) 22/219/2018–19

मद संख्या 66 (14)

प्राधिकरण में लिपिकीय श्रेणी के अनुभवी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सहमति के आधार पर पुनः संयत वेतन पर सेवायें प्राप्त किये जाने विषयक।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 1986 में शासन द्वारा किया गया था। तदोपरान्त शासन द्वारा लिपिकीय श्रेणी के अन्तर्गत 04 कनिष्ठ लिपिक 01 वरिष्ठ सहायक, 01 मुख्य सहायक तथा 01 कार्यालय अधीक्षक का पद स्वीकृत किया गया था। जिसके सापेक्ष वर्ष 1987 में नियुक्तियां की गयी थी। उक्त के उपरान्त दिसम्बर 2017 तक लिपिकीय श्रेणी के अन्तर्गत किसी भी पद का सृजन नहीं किया गया और न ही इन पदो के सापेक्ष कोई नियुक्ति की गयी। पूर्व में गठित हरिद्वार विकास प्राधिकरण तथा वर्तमान में हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र में काफी विस्तार होने के कारण 03 अतिरिक्त शाखा कार्यालयों की भी स्थापना की गयी है किन्तु लिपिकीय श्रेणी के कर्मचारियों की अत्यधिक कमी के कारण कार्यों के सम्पादन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। प्राधिकरण के गठन के समय लिपिक श्रेणी में की गयी नियुक्तियों के उपरान्त अन्य कोई लिपिकीय श्रेणी में नियुक्ति न होने के कारण प्रारम्भ में नियुक्त समस्त लिपिकीय श्रेणी के कर्मचारी वर्ष 2021 तक सेवानिवृत्त हो जायेंगे। इनके सेवा निवृत्त होने के उपरान्त अनुभवी कर्मचारियों की अत्यन्त कमी हो जायेगी। जिससे प्राधिकरण के कार्यों के संचालन में कठिनाई होगी। वर्तमान में कार्यालय के मुख्य सहायक जो प्रशसनिक अधिकारी का भी कार्यभार देख रहे हैं, दिनांक 31.01.2019 को सेवा निवृत्त हो रहे हैं।

अतः प्राधिकरण कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु प्राधिकरण के अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता के दृष्टिगत सेवानिवृत्त कार्मिकों को यदि वे पुनः कार्य करने हेतु सहमत हों तो उनकी सेवायें संयत वेतन के आधार पर लिए जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्राविधानों के अतिरिक्त शासन द्वारा वर्तमान में प्रस्तुत शमन शुल्क उपविधि एक मुश्त एक बार समाधान हेतु आवश्यक संशोधन को अंगीकृत करते हुए शासन को अवगत कराने पर सहमति प्रदान की गई । घनी आबादी जैसे श्रवणनाथ नगर से हर की पैडी तक के क्षेत्र को पार्किंग हेतु शत प्रतिशत शमन करने अन्य क्षेत्रों के नव निर्माणों में 50 प्रतिशत पार्किंग क्षेत्र को ही शमन किये जाने के निर्देश के साथ प्रस्ताव अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय की ओर से शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये ।

मद संख्या–66 (14) प्राधिकरण में लिपिकीय श्रेणी के अनुभवी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सहमति के आधार पर सेवायें प्राप्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अध्यक्ष /आयुक्त महोदय द्वारा गुण–दोष एवं उपयोगिता के आधार पर उपाध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0 को अधिकृत किये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 अध्यक्ष, एच0आर0डी0एवं व अन्य पदेन सदस्यों को बोर्ड बैठक में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

Setretary

Vice Chairman

Chairman

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, तीर्थाटन/पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
6. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
7. उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक, ग्राम्य एवं नगर नियोजक विभाग, उत्तराखण्ड़, देहरादून।
9. मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
10. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश।
11. अध्यक्ष, नगर पंचायत, मुनिकीरेती, टिहरी गढवाल।
12. अध्यक्ष, नगर पंचायत, रानीपुर हरिद्वार।

संख्या : २५५३/प्रशा0–2(क)–22/79/2018–19 दिनांकः 05/02/2019

विषय : हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.01.2019 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक अध्यक्ष, ह0रू0वि0प्रा0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2019 को पूर्वान्ह 11:00 बजे आयुक्त कैम्प कार्यालय, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

ओ/ल (कृष्ण कुमार मिश्र)
सचिव

प्रतिलिपिः–

अध्यक्ष, ह0रू0वि0प्रा0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।

ओ/ल (कृष्ण कुमार मिश्र)
सचिव

कार्यालय हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,हरिद्वार

संख्या : 2446/प्रशा0–2(क)–22/79/2018–19 दिनांक:– 06/02/2019

1– संयुक्त सचिव, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश–रूडकी–लक्सर
2– मुख्य वित्त अधिकारी, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
3– अधिशासी अभियन्ता, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार ।
4– समस्त सहायक अभियन्ता/सहा0नगर नियोजक ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
5– समस्त अवर अभियन्ता/मानचित्रकार/सर्वेयर।
6– प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक/समस्त सहायक।
7– आई0टी0अनुभाग/गार्ड फाईल।

प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.01.2019 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने–अपने अनुभाग से सम्बन्धित कार्यवृत्त में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुपालन करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

सचिव
o/c हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

प्रतिलिपिः
उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

o/c सचिव